न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 56/23 वाद GCMS NO : 2023/00023
पूर्व प्रकरण संख्या : 97/17

श्रीमती विष्णु देवी पत्नी श्री दुर्गाशंकर जी नागदा, निवासी गाँव बुझडा, तहसील गिर्वा, हाल निवासी माँ दुर्गा भवन, न्यू रामपुरा कॉलोनी, सीसारमा रोड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.).

.....वादीया

बनाम

1. फैयाज मोहम्मद उर्फ फिराज पिता सदीक मोहम्मद, उम्र वयस्क, जाति मुसलमान, निवासी गांव नयाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. परविन पत्नी फैयाज मोहम्मद, उम्र वयस्क, जाति मुसलमान, निवासी गांव नयाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री शान्तिलाल चपलोत अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक : 15.07.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है वादीया की आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम नोहरा, पटवार मण्डल नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में स्थित है खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 7244 कुल किता 1 कुल रकबा 0.6800 हैक्टयर है। वादीया ने उक्त कृषि भूमि दिनांक 21.07.20[illegible] को श्री ईशाक मोहम्मद पुत्र श्री गुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 11:00:00 IST
Reason: SelfAttested

मोहम्मद, निवासी ग्राम नयाखेडा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर से कब्जे के आधार पर जरिये विक्रय पत्र खरीदी थी जो कि वाके मौजा ग्राम नोहरा, पटवार मण्डल नाई, तहसील गिर्दा जिला उदयपुर मे स्थित है। आराजी संख्या 7244 जिसका कुलिया क्षेत्रफल लगभग 6 बीघा है जो कि मेरी आराजी के सटी हुई जमीन है जिसका भी विक्रय पत्र के अनुसार इशाक मोहम्मद ने अपना तीस वर्ष पुराना कब्जा बताकर बीलानाम काबिल काश्त जमीन को मुझको विक्रय किया जिसमे विक्रेता ने बताया कि उक्त जमीन का मेरे नाम पर आवंटन भी हो जायेगा। उक्त जमीन कुल रकबा 06 बीघा के आसरे मय बाड, कोट, वृक्ष, रूख, पाली, डोली, निसार, पैसार एवं मय कुलिया हक हकुको एवं कुलिया अधिकारों सहित मुझ वादीया को दिनांक 21.07.2003 को विक्रय कर दिया। वादीया अपने अधिपत्य की कृषि भूमि पर निर्वाध रूप से कई वर्षों से काबिज है एवं खेती कर रही है परन्तु कुछ समय पूर्व पता करने पर पता चला कि विक्रेता इशाक मोहम्मद के परिवारजन वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। वादीया एक उम्रदराज महिला होने से उन व्यक्तियों से लडने में असमर्थ है जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण उक्त जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। रेवेन्यु एक्ट की धारा 91(3) का नोटिस देकर दिनांक 13.10.2014 को उक्त आराजी संख्या 7244 ग्राम नोहरा रकबा 0.5850 किस्व काबिल कास्त का अतिकमी मानकर पत्रावली संख्या 26 / 2014 मे कार्यवाही की जाकर मुझसे लगान की 50 गुनी पैनल्टी राशि 50 रूपया वसुल कर फसल निलामी रूपये 850 जमा कर ली गयी एवं दिनांक 16.10.2015 को उक्त आराजी संख्या 7244 ग्राम नोहरा रकबा 0.5850 किस्व काबिल कास्त का अतिकमी मानकर पत्रावली संख्या 82/ 2015 मे कार्यवाही की जाकर मुझसे लगान की पैनल्टी राशि 30 रूपया वसुल कर फसल निलामी रूपये 300 जमा कर ली गयी मुझ वादीया का व पूर्व कब्जेदार का तीस वर्ष का कब्जा एवं मेरा 15 वर्षों को कब्जा कुलिया 45 वर्ष का कब्जा है। उक्त कब्जे के आधार पर मुझ प्रार्थिया के नाम पर आवंटन किया जाना न्याय हित मे आवश्यक है । अतः निवेदन है कि वादीया वादग्रस्त आराजीयात की कब्जाधारी होने की वजह से प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को शिघ्र अतिशीघ्र हटाने का आदेश फरमाया जाये एवं प्रतिवादीगण भविष्य में उक्त कृषि भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही करावें बिना वादीया की सहमति एवं मर्जी के खुर्द-बुर्द नहीं करे ना ही किसी भी प्रकार का अंतरण या विक्रय करे या करावें ।

प्रकरण में प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से प्रतिवादी का जवाब अवसर बंद किया गया। प्रकरण में जवाब पेश नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया।

प्रकरण मे वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य दुर्गाशंकर पिता छोगालाल ब्राहमण व विष्णुदेवी पत्नि श्री दुर्गाशंकर का शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेजो को प्रदर्श कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में दिनांक 21.07.2003 का [illegible] विक्रय इकरार नामा प्रदर्श 1, नकल जमबान्दी सम्वत! 2070–2073 खाता संख्या 7[illegible] प्रदर्श 2, नक्शा छायाप्रति प्रदर्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 11:00:00 IST
Reason: SelfAttested

3, मुख्तियारनामा आम प्रदर्श 4, है। जिरह हेतु प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे प्रतिवादी का जिरह अवसर बंद किया जाकर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य भी पेश नही की गई ना ही पैरवी हेतु उपस्थित हुए जिससे प्रतिवादी का साक्ष्य अवसर बंद किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

वादी विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादीया ने वादग्रस्त कृषि भूमि दिनांक 21.07.2003 को श्री ईशाक मोहम्मद पुत्र श्री गुर मोहम्मद, निवासी ग्राम नयाखेडा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर से कब्जे के आधार पर जरिये विक्रय पत्र से खरीदी गई। वादग्रस्त आराजी संख्या 7244 जिसका कुलिया क्षेत्रफल लगभग 6 बीघा है जो कि मेरी आराजी के सटी हुई जमीन है जिसका भी विक्रय पत्र के अनुसार इशाक मोहम्मद ने अपना तीस वर्ष पुराना कब्जा बताकर बीलानाम काबिल काश्त जमीन को मुझको विक्रय किया जिसमे विक्रेता ने बताया कि उक्त जमीन का मेरे नाम पर आवंटन भी हो जायेगा। परन्तु कुछ समय से विक्रेता इशाक मोहम्मद के परिवारजन वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है तथा बेदखल करने पर उतारू है, जबकि वादीया का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा 45 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा है। अतः निवेदन है कि वादीया वादग्रस्त भूमि की कब्जेधारी होने की वजह से प्रतिवादी द्वारा कब्जा किए गए कब्जे को हटाया जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि प्रतिवादगण द्वारा वादीगण के आराजी नम्बर 7244 रकबा 0.6800 हैक्टयर पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा हटा दिया गया है। अतः उक्त वाद में अब कोई राहत की जरूरत नहीं है।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण पत्रावली फैसल की जाती है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 11:00:00 IST
Reason: SelfAttested